न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)

अनवान

मोतीलाल सिघांनिया, **जी–37, रिक्को 4Th फेज, पुर रोड़, भीलवाड़ा जिला भीलवाडा**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या :– 13/**2025**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27–03–2025	**–: निर्णय :–** 1. पत्रावली आज पेश हुई। अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी अनुपस्थित। 2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 25–**01–2025** में वर्णित सूचना, लोक सूचना अधिकारी रेस्पोडेंट के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील 07–03–2025 को प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। 3. लोक सूचना अधिकारी एवं **उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा** ने जरिये पत्रांक 483 दिनांक 20–03–2025 से अवगत कराया कि प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना आरटीआई के तहत देय नहीं है। क्यों कि भू अभिलेख सम्बधी दस्तावेजाद की नकले उपलब्ध कराने हेतू राजस्थान भू राजस्व अभिलेख नियमावली 1957 में विशिष्ठ प्रावधान विहीत है। इस सम्बंध में तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा जरिये पत्रांक 489 दिनांक 04–03–2025 से अपीलार्थी प्रार्थी को अवगत कराया जा चुका है। उपखण्ड अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी से उचित एवं विधि सम्मत है। अतः प्रार्थी अपीलार्थी उक्त विशिष्ठ प्रावधानों की अनुपालना में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विधिवत आवेदन कर वांछित सूचना प्राप्ति हेतू स्वतन्त्र है। 4. लिहाजा उपरोक्त विवेचन के मध्यनजर अपीलार्थी की ओर प्रस्तुत अपील सारहीन होने खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 27–03–2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(जसमीत सिंह संधू)** प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा (राज.)	